

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / अधि. अभि.-सैक्टर रोड / 2021 / डी- 🔁 ५

दिनांक : (9.02.202)

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण में आयोजित कार्यकारी समिति की 231वीं बैठक दिनांक 08.02.2021 के एजेण्डा संख्या 231.15 का विचार—विमर्श कर अनुमोदन पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान—2025 को सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करने के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में सैक्टर सडकों के निर्माण हेतु पूर्व में जारी SOP में संशोधन करते हुए Revised SOP (Standard Operating Procedure) व नवीन चैकलिस्ट लागू करने के आदेश जारी किये जाते है।

(हृदेश कुमार शर्मा) सचिव

जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:--

- 1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2. निजी सचिवं, सचिवं, जविप्रा, जयपुर।
- 3. समस्त निदेशक (अभियांत्रिकी / वित्त / विधि / आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
- 4. समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
- 5. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्तागण, जविप्रा, जयपुर।
- 6. समस्त अधीक्षण अभियन्तागण, जविप्रा, जयपुर।
- 7. समस्त उपायुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
- 8. समस्त अधिशाषी अभियन्तागण, जविप्रा, जयपुर।
- 9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता—सैक्टर रोड़ जविप्रा, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

Standard Operative Procedure

Development of Zonal Development Plan Roads and

Public Facilities

(As per the power conferred under section 44 of JDA Act, 1982)

इर्वेस कुमार समी

Background:-

Master Development Plan -2025 has been prepared and notified under JDA Act, 1982 and in continuation of Master Development Plan-2025, zonal Development Plans have also been prepared and notified.

Master Development Plan/Zonal Development plans envisage ahierarchy of Roads and reservation of lands for creation of public facilities & utilities.

The success of plan lies in action taken on the plan implementation. It is observed that residential development has largely already gone into the hands of private developers, which has created an imbalance for availability of adequate road network and land for public facilities & for utilities. Development of such facilities & implementation of the proposals/policies of Master Development Plan/Zonal Development Plans depends on the availability of land.

The land acquisition process requires a lot of resources and is also a time consuming process. Also the land owners are not keen to surrender or part with their land without a mechanism of win-win situation for all the stakeholders.

Therefore in order to implement the plan, a mechanism and framework needs to be prepared which creates a sustainable and win-win situation for all the stakeholders including the land owners, JDA and the developers, if any.

Section 44 of JDA Act 1982 provides for the provision of empowering the Authority to enter into an agreement with any person for the purchase, leasing or exchange by the Authority from such person or any interest in such land of which the Authority is authorized to acquire.

Presently the land owners or the developers, as the case may be submit an application under section 90-A of land Revenue Act 1956 for surrendering the agriculture land which is re allotted to the land owner or to his nominee for the use as assigned in Master /Zonal Development plan and with this process land under proposed Zonal Development Plan roads /internal roads and other facilities is surrendered without any cost to Authority. However with this process, though the land is made available to JDA, free of cost but due to uncertainty of interest of land owners / developers the entire stretch of road and other facilities do not come in the possession of JDA, creating a situation of land lock and incomplete/disintegrated planning

177

It has been decided to prepare a revised "Standard Operative Procedure" through which proactive measures can be initiated for development of Zonal Development Plan Roads and other facilities as well as following a unified procedure and action so that khatedars are encouraged to surrender their lands in increased numbers resulting in fast and timely construction of important Zonal Development Plan Roads.

For proactive development, Zonal Development Plan Roads can be broadly divided in 2 categories:

- A. Category A Roads shall include roads for which land in some parts has been surrendered by concerned khatedars and JDA has constructed road in some parts, and there are certain missing links because of non-availability of land
- B. Category B Roads shall include all such roads, which are decided as priority roads by JDA and for which land acquisition and construction has to be started from the beginning.

In compliance of the decision following procedure is set henceforth as a unified action Plan:

- 1. For Category A Roads Concerned Zone DCs shall issue notices to remaining khatedars/landowners for surrender of land under section 44 of the act. Zone DCs shall call a meeting of such khatedars and convince them for surrender of land under land for land provisions so that missing links can be completed and end-to-end connectivity can be achieved. The process of issuing reservation letters and allotment of developed land, in lieu of compensation shall be done on top priority in such cases, following applicable instructions of equivalence.
- 2. For Category B Roads Following detailed action plan shall be followed

Action no. 1 Coding/designation of roads

Each zone shall code and designate the following hierarchy of Zonal roads within their Jurisdiction.

Α	60.0 m wide road	
В	48.0/45.0 m wide road	

C	36.0 m wide road	
D	30.0 m wide road	
Е	24.0 m wide road	
F	18.0 m wide road	

Each of coded / designated road shall be geo-tagged /geo-referenced and would be marked on Master Development Plan/Zonal Development Plan.

Coding/Designation of the road would be as follows:-

Example:

Planning Zone	14
Zonal Plan Road Row	60.0 m wide (A)
Road Number	02
Code	Planning Zone No. ROW/road No. PZ-14/60/A-2

Action No. 2- Priority of the Road

Priority of the road, to be taken up for implementation, shall be based on the existing development in the area, proposed plans being submitted for 90-A, importance of the road in terms of transportation network, availability of JDA land in the area and its connectivity and the local demand etc. The concerned Zone shall submit a priority to the committee headed by JDC with Secretary, Director (Engineering), Director (Town Planning), Director (Finance), concerned Additional Commissioner and Deputy Commissioner as Members. The concerned D.C. will be the Member Secretary.

Action No. 3- DGPS Survey of the area and demarcation of road

The concerned Deputy Commissioner/executive Engineer, if required, shall initiate the DGPS survey along with superimposition of Revenue Maps and all other physical features and demarcation of road at site, which after duly verified, shall be submitted to Master Plan Cell/IT Cell for superimposing on Master Development Plan/Zone Development Plan, after due checking.

Action No.4 - Superimposition of commitments

The concerned Zone shall ensure that all previous commitments, i.e. JDA schemes, approved layout plans, details of JDA land, and other details like water

(As per E.C. decision meeting dated 08.02.2021 Agenda No. 231.15)

bodies, existing revenue roads, tracks etc. are superimposed on the DGPS Survey map latest by 7 days.

Action No.5 - Draft Alignment of Zonal Plan Road

The concerned Executive Engineer, based on the finalized DGPS survey and ground conditions, shall prepare the draft alignment of the Zonal Plan Road considering the proposal as per Zonal Development Plan and mark the variations, if any, as per existing conditions, commitments etc.

Action No.6 - Final Alignment of Zonal Plan Road

In case of any dispute with respect to the draft alignment as per MDP/ZDP, matter shall be referred to the BPC(LP) for decision with technical report by Director (Engineering) and Director (Town Planning)

Action No.7 - Planning of commercial strip

The concerned Zone shall work out the details of area of land falling in Zonal Plan road and planning of commercial strip for each of the Revenue Khasra shall be done accordingly, ensuring that each of the Revenue Khasra, after surrendering of land to JDA falling in Zonal Plan road, gets the land as per Government Order / as per norms in lieu of their surrendered area. The plan of this commercial strip or as per norms land shall be got approved from the Competent Authority, as the case may be. The concerned Zone shall also ensure that existing court cases, if any with regard to any Revenue Khasra is incorporated on to the Master Plan Base Map. The approved commercial strip should also be developed on site along with development of the road. Boundry pillars on sector commercial plots shall be made essentially, along with boards clearly mentioning plot numbers and ownership of JDA.

Action No.8 - Joint meeting with land owners

A joint meeting shall be conducted at the level of Deputy Commissioner/Executive Engineers with concerned land owners to apprise them of the plan, benefits to land owners and the procedure to surrender their land under section 44 of JDA Act, 1982.

Action No.9 – Administrative & Financial sanction

As soon as a decision is taken to develop a road as a priority road and some land is made available, the concerned Executive Engineer shall prepare an estimate and initiate proposal for A&F to the competent Authority. Concerned Executive Engineer shall get the WBM work done as soon as land is made available on site, so that other khatedars are also motivated to surrender their land and so that land mafias are not able to sell road land to bonafide citizens for residential purpose. However, bitumen work shall be begun on site only when road land is made available atleast in 50% road length.

Action No.10 - Reservation Letter

The concerned Zone shall immediately process files for issuance of reservation letter to the land owners as soon as land is surrendered to JDA. Camp may be organized at site by concerned zone DC to motivate remaining khatedars for surrendering their land. Matters, if any, related to land compensation/rehabilitation shall be prepared and processed by the concerned zone. In cases where land in lieu of land cannot be given in the commercial strip due to unavailability of land or prior developments or non-development thereof or ineligibility for sector commercial as per policy, and sufficient equivalent land is not available in nearby areas, the zone will identify alternate locations where such land could be allotted and get the planning done.

In case a special planning is done for allotment of developed land to khatedars, or more than one khatedar of a road apply for the same plots or for plots in same scheme, or more number of plots are available in the scheme, for which khatedar has given consent, Allotment should be done through lottery among them.

The complete progress of each of the actions/activity shall be reviewed monthly at the level of JDC/Secretary, so as to expedite the work and sort out hurdles, if any.

The progress of each of the activity shall also be updated on GIS platform, to be done by concerned Deputy Commissioner/Executive Engineer and System Analyst.

The Director (Engineering) shall ensure timely implementation of work at site. The activity chart showing time frame and nodal officer/cell is as follows:-

S. No.	Name of Activity	To Whom Delegated	Time Frame
1	Coding (Designation) of each Sector Road	Master Plan Cell	
<u>2</u>	Priority has to be fixed	Deputy Commissioner(to initiate as member secy.)	1
3	Coordinates of sector road from Town Planning Cell	Executive Engineer	7 Days
4	Demarcation of sector road	Deputy Commissioner& Executive Engineer	7 Days
5	PT Survey of Demarcated Sector Road and provide hard and soft copy to Master Plan Cell / DC office	Executive Engineer	7 Days
6	Khasra superimposition of sector road and provide hard and soft copy to Town Planning Cell		7 Days
7	Verification of Sector road alignment	Master Plan Cell	3 Days
8	Preparation of file Sector road	Deputy Commissioner	3 Days
9	Conduct the meeting with the farmer's / land owner	Deputy Commissioner & Executive Engineer	7 Days
10	Issue Notification of required land /Khasra to the land owner	Deputy Commissioner	7 Days
11	Objection to be taken land /Khasra owner	Deputy Commissioner	7 Days
12	Issue reservation letter to the land owner & Letter issue to the executive engineer for construction activity	Deputy Commissioner	20 Days
13	Information to system analyst for updating	Deputy Commissioner & Executive Engineer	7 Days
14	Proposal for construction of sector road to be move i) For GSB road ii) For Bituminous road	Executive Engineer	7 Days 15 Days
15	Review of progress by standing coordination committee	Deputy Commissioner & Executive Engineer	As and when required
16	Resolve of any hurdle of land by higher standing committee comprising	Secretary JDA, Addl.	As and when required
17	Entry / Updation	Deputy Commissioner, Executive Engineer & System Analyst	

3. For Zonal Development Plan public facility land:

Similar Action Plan to be taken of development of public facility land as proposed in Master Development Plan/Zonal Development Plans.

हर्दश कुमार शर्मा

सेक्टर रोड / मास्टर प्लान रोड / अन्य रोड के लिए समर्पित भूमि के मुआवजे के रूप में घारा 44 के तहत विकसित भूमि आवंटन हेतु मानक चैकलिस्ट / रिपोर्ट प्रारूप

क्र0	विशिष्टियां	रिपोर्ट	हस्ताक्षर
सं०			
Α	व.लि. / क.लि. के स्तर पर परीक्षण और सत्यापन		
1.	आवेदक का नाम/पता		
2.	आवेदन के प्राप्त होने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और पृष्ठों की कुल संख्या		
3.	भूमि का ब्यौरा		
4.	ग्राम और तहसील का नाम	7,000	
5.	भूखण्ड संख्या / खसरा नम्बर	1	
6.	कुल रकबा		
7.	अवाप्त रकबा		
8.	खातेदार/हितधारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ब्यौरा	इकरारनामा, शपथ पत्र, क्षतीपूर्ति अनुबंध पत्र, पहचान पत्र, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, नक्शा शीट, लोकेशन मेप, पी. टी. सर्वे, गूगल मेप, प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड विक्य पत्र।	
9.	सम्यक रूप से रिजस्ट्रीकृत मुख्त्यारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य व्यक्तियों की ओर से फाईल किया जाता है।		
10.	पटवारी द्वारा प्रमाणित अंतिम नवीनतम जमाबंदी की प्रति अथवा योजना के भूखण्ड से संबंधित लीजडीड/आवंटन पत्र का विवरण	पर संलग्न है।	
11.	पटवारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम नक्शा ट्रेस की प्रति / भूखण्ड से संबंधित साईट प्लान की प्रति	पृष्ठ संख्या/सी पर संलग्न है।	
12.	समर्पित भूमि एवं उसके आस-पास की रिथाति के पी.टी. सर्वे की रिपोर्ट खसरा सहित	पृष्ठ संख्या/सी पर संलग्न है।	
13.	नोटरी से सम्यक रूप से प्रमाणित इकरारनामा / घोषणा पत्र (500 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर)	पृष्ठ संख्या/सी पर संलग्न है।	

14.	नोटरी से सम्यक रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बन्ध	पृष्ठ संख्या/सी	
	पत्र (200 / - रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प	पर संलग्न है।	
	पेपर)	16 (16) 4 6 1	
15.	नोटरी से सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र	पृष्ठ संख्या/सी	
	(50 / -रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर)	पर संलग्न है।	
16.	समर्पित भूमि एवं आस-पास का गुगल मेप	पृष्ठ संख्या/सी	
	(कोर्डिनेट सहित)	पर संलग्न है।	
17.	समर्पित भूमि का मास्टर प्लान 2011 एवं	पृष्ठ संख्या/सी	
	2025 / एव जीनल डबलपमेन्ट प्लान के आधार	पर संलग्न है।	
	पर चिन्हीकरण कर अध्यारोपण की प्रति	1. (1.1.1.0)	
18.	खातेदार/आवेदक की पहचान का सबूत	पृष्ठ संख्या/सी	
		पर संलग्न है।	
19.	भूमि का निर्माण, यदि कोई हो	संलग्न नहीं है।	
20.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कोई अन्य	-	
	दस्तावेज		
21.	आवेदन प्ररूप सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है।	हाँ।	-
		visitor -	
		संबंधित सहायक	क हस्ताक्षर
В	राजस्व शाखा द्वारा परीक्षण रिपोर्ट		
1.	भूमि/क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन		
	किया गया है।		
(i)	ग्राम व तहसील का नाम		
(ii)	खातेदार का नाम		
(iii)	खसरा नम्बर मय क्षेत्रफल		
(iv)	भूमि वर्ग		
	कृषि / अकृषि		
2.	खातेदार / हितधारी द्वारा समर्पित भूगि सम्पूर्ण है		
-	अथवा आंशिक (समर्पण के पश्चात् खाते में बची		
	भूमि का विवरण)		
र्द्धभास इ	र्म्समर्पित भूमि किसी प्रतिबन्धित श्रेणी में तो नहीं		
सचिव	है ?		
4.	त्या आवेदक / हितधारी की भूमि रःमर्पण की		
9	पात्रता की जॉच कर ली गयी है राजस्द रिकॉर्ड		
	अनुसार भूमि समर्पण स्वीकार योग्य है।		
5.	समर्पित भूमि का कुल क्षेत्रफल एवं कुल 25		
į	प्रतिशत क्षेत्रफल		

6.	न्यायालय विवाद की स्थिति	
7.	भूमि अवाप्ति की स्थिति	
(i)	धारा 4 (1)	
(ii)	धारा 6 (1)	
(iii)	अवार्ड का भुगतान 25 प्रतिशत / नगद	
8-	क्या प्रस्तावित भूमि का पूर्व मे समर्पण किया गया है।	
		संबंधित अमीन के हस्ताक्षर
С	सहायक नगर नियोजक / कनि० अभियन्ता	
1.	भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर / निर्माण का मूल्यांकन (बी.एस.आर. दर पर)	
2.	क्या मौके पर समर्पित भूमि का चिन्हिकरण किया जा चुका है।	
3.	समर्पित भूमि के मौके पर कब्जे की स्थिति	
4.	समर्पित भूमि से होकर जा रही गैस पाईप लाईन का ब्यौरा	
5.	आवेदित भूमि से गुजर रही एच.टी./एल.टी. लाईन/ट्रांसफार्मर का ब्यौरा	
6.	समर्पित भूमि की रोड की वौडाई	
7.	समर्पित की जाने वाली भूमि के सैक्टर रोड / मास्टर रोड / अन्य रोड की चौडाई	
3)	खातेदार / हितधारी द्वारा समर्पित भूमि का	
1	समर्पण केवल मुख्य सडक के लिए ही है	
	अथवा कमर्शियल पट्टी के लिए भी।	
कृतार व	रिथति स्पष्ट करें।	
9.0	समर्पित भूमि के बदले दो जाने वाली भूमि 25	
	प्रतिशत व्यावसायिक / 20 प्रतिशत आवासीय,	
	05 प्रतिशत व्यावसायिक	

		γ	
D	कनिष्ठ लेखाकार		
1.	समर्पित की जा रही सम्पूर्ण भूमि का प्रचलित		
	डीएलसी दरों के अनुसार मूल्यांकन राशि		
2.	आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रचलित		
	डीएलसी दरों के अनुसार मूल्यांकन राशि		
	, 3 6		
1.	पी.टी. सर्वे / गूगल मेप से जांच एवं मौके		
1.	स्थिति की जांच रिपोर्ट		
2.	अन्य कोई स्थिति जो भूमि, समर्पित भूमि की		
Ζ.	स्थिति स्पष्ट करती हो।		
		1 -A - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	<u> </u>
	नानुसार भूमि के बदले भूमि आवंटन की अभिशंषा	का जाता ह / निम्न का	रणा स
आमश्र	ा नहीं की जाती है:		
अधि०अ	भियन्ता सहायक नगर नियोज	क तहसील	दार
		6	
		कर्मचारियों / अधिकारियों	के हस्ताक्षर
E	जोन उपायुक्त एवं अधिशाषी अभियन्ता		
1.	(क). क्या यह सडक एस.ओ.पी. के अनुसार		
	केटेगीरी-ए की सडक है, (जिसमें आंशिक		
	निर्माण किया जा चुका है एवं कुछ मिसिंग		ĺ
,89	लिंक शेष है ।)		
1	(ख) क्या यह सडक एस.ओ.पी. के अनुसार	in a second	
	A		
	कॅटेगीरी-बी की सडक है (जिसको प्राथिंभकता		
THE W	की सडक निर्धारित किया गया है)		
क्रियार र	COD के अनुसास सीन कर कीन नागर		
-IV.	SOP के अनुसार रोड़ का कोड नम्बर		
3.	SOP के अनुसार सड़क के प्राथमिकता की		u.
- '	सङ्क के सम्बन्ध में निर्णय हेत् प्राधिकृत कमेटी		
	का निर्णय है।		
	। प्राचित्रप्र है। 		
4.	क्या सडक का अलायनमेन्ट निर्विवाद है। यदि		
	कोई दिवाद है तो विवरण।		
	MUM IMMIN COM MANCOLL	i i	1

5.	क्या मास्टर प्लान / जोनल प्लान / अन्य निर्णय के अनुसार विचाराधीन सड़क पर सेक्टर कॉमर्शीयल पट्टे का प्रावधान रखा हुआ है।	
6.	क्या सेक्टर कॉमर्शीयल पट्टे के क्षेत्र का ले-आउट व योजना अनुमोदित की जा चुकी है।	
7.	क्या सेक्टर कॉमर्शीयल क्षेत्र विकसित किया जा चुका है।	
8.	विचाराधीन सड़क की कुल लम्बाई (मीटर में)	
9.	विचाराधीन सडक में कितनी लम्बाई में जेडीए के पास वर्तमान में भूमि उपलब्ध है (मीटर में)	
10.	कितनी लम्बाई में सड़क का निर्माण किया जा चुका है (मीटर में)	
11.	वर्तमान प्रस्ताव में कितनी लम्बाई की सड़क की भूमि उपलब्ध हो पायेगी (मीटर में)	
12.	क्या विचाराधीन सड़क के विकास हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी है। यदि हाँ तो दिनांक व राशि	
13.	क्या कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित SOP तहत निर्धारित प्रकिया अपनाई जा रही है?	
14.	क्या प्रस्ताव केवल आरक्षण पत्र जारी करने का है / पूर्व में जारी आरक्षण पत्र के आधार पर अवंटन पत्र जारी करने का है अथवा आरक्षण /पत्र व आवंटन पत्र दोनों जारी करने का है।	
5 15 .	क्या उसी सडक पर विकसित सेक्टर कॉमशीयल भूमि उपलब्ध है।	
16	क्या उसी योजना में विकसित भूमि उपलब्ध है।	
17.	क्या आवंटन उसी सड़क / योजना में प्रस्तावित किया गया है अथवा किसी अन्य	4

हतेश

	सड़क / योजना में	
18.	क्या खातेदार / भू—स्वामी द्वारा केवल मुख्य सड़क के लिए भूमि समर्पित की जा रही है अथवा केवल सेक्टर कामर्शीयल के लिए अथवा मुख्य सड़क व सेक्टर कॉमर्शीयल दोनों के लिए	,
19.	क्या खातेदार / आवेदक द्वारा अपने खसरा / पट्टे की सड़क सीमा (मय सेक्टर कामर्शीयल) में आने वाली सम्पूर्ण भूमि समर्पित की जा रही है अथवा आंशिक	
20.	वर्तमान नियमों, नीति व आदेशों के अनुसार आवेदक को मुआवजे के रूप में किस प्रकृति की कितनी विकसित भूमि आवंटित की जा सकती है (आवासीय / व्यावसायिक / मिक्स – वर्ग गीटर में)	
21.	क्या प्रकरण इस प्रकार का है कि एस.ओ.पी. के अनुसार सीमित लॉटरी के माध्यम से आवंटन प्रस्तावित हो ।	
22.	समर्पित की जाने वाली भूमि का DLC दरों पर मूल्यांकन (क्षेत्रफल X DLC दर = मूल्यांकन)	
23.	समर्पित भूमि के मुआवजे के रूप में दी जाने वाली विकसित भूमि का DLC दर पर मूल्यांकन	
24.	समर्पित करवाई जाने वाली भूमि के स्थान पर सड़क की चौडाई	
र्षेत्र. कुमार व	आवंटित की जाने वाली भूमि / भूखण्ड की सिंडक की चौडाई	
26.	क्या समर्पित की जाने वाली भूमि व आवंटित की जाने वाली भूमि सममूल्य / समतुल्य है।	10
27.	क्या आवंटित की जाने वाली भूमि का मृल्य अधिक होने के कारण अनुपातिक रूप सं आवंटित किये जाने वाला क्षेत्रफल कम कर	

	दिया गया है।	
28.	समर्पित की जाने वाली भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भू—उपयोग और मास्टर प्लान 2025 में भू—उपयोग	
29.	क्या समर्पित भूमि व समर्पित भूमि के बदले दी जाने वाली विकसित भूमि एक ही जोनल प्लान में स्थित है। यदि हॉ तो जोनल प्लान संख्या का अंकन करें।	
30.	क्या प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अनिवार्य अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गई है – यदि हाँ तो विवरण	
31.	क्या कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन करने की अधिकारिता आयुक्त, जविप्रा को प्रत्यायोजित है अथवा प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है?	
32.	क्या नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटन प्रकरण को निस्तारित करने की अधिकारिता प्राधिकरण स्तर पर है अथवा प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार की भिजवाया जाना है।	,
Ë	प्रकरण नीति, नियम, राज्य सरकार द्वारा जारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया के परिप्रेक्ष्य में भूमि जारी करने बाबत जोन स्तरीय कमेटी (ZLC) की	। सगर्पण कर आरक्षण/ आवंटन पत्र
	सहायक नगर नियोजक तहसीलदार	उपायुक्त जोन

निस्स

कार्यकारी सामिति की 231 वी वेदक दि. 08. 2.2021 के एनेण्डा सं. 231.15 का मिलीय ु

231.15

सैक्टर व्यावसायिक भू पट्टी के प्रकरणों में जविप्रा अधिनियम 1982 की

धारा 44, 90क एकल पट्टा आदि कार्यवाही में समरूपता लाने हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में।

- i- समिति द्वारा प्रस्तावित नीति, चेक लिस्ट एवं रिवाइज्ड एस.ओ.पी का अनुमोदन करते हुए कार्यालय आदेश जारी कर रिवाइज्ड एस.ओ.पी. व नवीन चैकलिस्ट जारी करने का निर्णय लिया गया।
- ii- प्राथमिकता की सडकों हेतु संबंधित जोन अधिशाषी अभियंता को प्रभारी अभियन्ता बनाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सडक के संबंध में जो कि एक से अधिक जोन से गुजरती है, जिस अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में रोड़ का ज्यादा भाग निकलता हो उसे प्रभारी अभियन्ता बनाया जावें।
- iii- अधिशाषी अभियंता (सेक्टर रोड़) पूर्व की भांति मॉनिटरिंग का कार्य करते रहेगें।
- iv- अधिशाषी अभियंता (सेक्टर रोड) रिवाइज्ड एस.ओ. पी/चैक लिस्ट एवं दिशा निर्देश जारी करवाना तथा समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत जोन उपायुक्त गण व अन्य अधिकारियों के आमुखीकरण का कार्य सम्पादित करायेंगे।
- v- जिस प्रकार से सेक्टर रोड/ZDP रोड़ के सम्बन्ध में विस्तृत चैकलिस्ट तैयार की गई है, उसी प्रकार उक्त समिति द्वारा रिंग रोड व योजनाओं के सम्बन्ध में भी चैकलिस्ट तैयार की जावे। तैयार की जाने वाली चैकलिस्ट का अनुमोदन आयुक्त, जविप्रा से प्राप्त कर तीनों चैकलिस्ट समस्त जोन में लागू की जावे।

19.2.2021

W.

संविध जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

ज.वि.प्रा.-सा. स्टोर-2020